



सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
Office of the Accountant General (A&E)
Uttar Pradesh, Prayagraj



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकसत्ता रक्षणसिन्धु
Dedicated to Truth in Public Interest

Special Seal Authority

पत्रांक- पेंशन विविध/ 25803-26145

दिनांक 29/06/2026
30/06/2026

सेवा में,

समस्त कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)-मुख्यालय,
एवं निदेशक (कोषागार)

विषय:-राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों एवं उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2026 से महँगाई राहत के शासनादेशों का प्रेषण।

शासनादेश: -(1)-3/2026/सा-3-256/दस-2026/301/2000 टी०सी० लखनऊ, दिनांक-21/05/2026

(2)-06/2026/आई1358238/2026/10-22099/1401/2020 लखनऊ, दिनांक-09/06/2026

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों एवं उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2026 से महँगाई राहत के आदेश की प्रति विशेष मुद्रांकन सहित संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन विविध

 सत्यमेव जयते	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज Office of the Accountant General (A&E) Uttar Pradesh, Prayagraj	 SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA उच्चतम लेखा संस्थान Dedicated to Truth in Public Interest
---	--	---

Special Seal Authority
दिनांक :-

पत्रांक :- पेंशन विविध/

सेवा में,

समस्त कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)-मुख्यालय
एवं निदेशक (कोषागार)

विषय :- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को 01.07.2025 से 58% महुँगाई राहत स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2026 से 262% महुँगाई राहत के शासनादेशों का प्रेषण।

शासनादेश :-

1. 3/2026/सा-3-256/दस-2026/301/2000 टी०सी०, लखनऊ दिनांक 21.05.2026
2. 06/2026/आई1358238/2026/10-22099/1401/2020, लखनऊ दिनांक 09.06.2026

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेशों की प्रति विशेष मुद्रांकन सहित संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
Krishna Kumar Nigam
Date: 18-06-2026
11:45:49

वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन विविध



उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-3/2026/सा-3-256/दस-2026/301/2000टी.सी.
लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2026

कार्यालय-जाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-25/2025/सा-3-627/दस-2025/301/2000 टी.सी. दिनांक 17.10.2025 द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2025 से महँगाई राहत की दर 55 प्रतिशत से बढ़ा कर 58 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2026 से महँगाई राहत 02 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त 02 प्रतिशत की बढ़ोतरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जनवरी, 2026 से 60 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-जाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व के शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारीगण।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1,2 एवं ऑडिट-1,2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) समस्त राज्यों के महालेखाकार।

आज्ञा से,
राहुल कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Government of Uttar Pradesh

Finance (General) Section-3

No. 3/2026/G-3-256/10-2026/301/2000T.C.

Dated: Lucknow: 21 May, 2026

Office-Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil/family pensioners.

Vide government order No. 25/2025/G-3-627/10-2025/301/2000T.C. Dated 17 October, 2025 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 55 percent to 58 percent w.e.f. July 01, 2025.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 02 percent w.e.f. January 01, 2026 on the pension/family pension revised/determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016.

3- As a consequence of the above-mentioned 02 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 58 percent to 60 percent with effect from January 01, 2026.

4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings/corporations etc in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners/family pensioners are being issued.

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/Technical Education Departments, whose pension/family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

7- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

Vijai Kumar Singh
Special Secretary, Finance.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

No. & date as above.

Endorsement to,

(1)-All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries to the Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers.

(2)-Accountant General (Account & Entitlement) 1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj.

(3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

(4)-Accountants General of all states.

By order
Rahul Kumar
Under Secretary, Finance.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-06/2026/आई/1358238/2026/10-22099/1401/2020
लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2026

कार्यालय-जाप

विषय: उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2026 से महँगाई राहत की स्वीकृति।

उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नहीं होना है, को राज्य सरकार द्वारा कार्यालय-जाप संख्या-29/2025/आई/1137406/2025-फा0नं0-10-22099/1401/2020 दिनांक-10 नवम्बर, 2025 द्वारा दिनांक 01-07-2025 से देय महँगाई राहत की मासिक दर 257 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी।

2- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नहीं होना है, को दिनांक 01-01-2026 से निम्नानुसार महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तिथि जब से देय है	महँगाई राहत की मासिक दर
01-01-2026	262 प्रतिशत

- 3- यह स्पष्ट किया जाना है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन स्वीकृत अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।
- 4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।
- 5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- 6- उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को तदनुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र० शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।
- 8- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
- 9- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 10- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
राहुल कुमार
अनु सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

S.L.	Name of the Office & Address	Dispatch No.	Date
1	PAG(A&E) Andhra Pradesh, Stalin Central Mall, 7th floor, M.G. Road, Governor Pet, Vijayawada, Andhra Pradesh - 520002	25883	29/06/26
2	AG(A&E) Rajasthan, 2, Jaspath, "C" Scheme Jaipur-302005	25889	11
3	PAG(A&E) Bihar, Mahalekhakar Bhawan, Veer Chand Patel Marg "R" Block, Patna-800001	25896	11
4	AG(A&E)-II Gujarat, Ahemedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura Ahmedabad 380009	25900	11
5	AG(A&E) Punjab&UT, Sector 17-E, Chandigarh. 160017	25905	11
6	PAG(A&E) Haryana, Lekha Bhawan Plot No.4-5, Sector 33-B Chandigarh 160020	25914	11
7	PAG(A&E) Kerala, M.G.Road, Thiruvananthapuram, - 695039	25915	11
8	AG(A&E) Tamilnadu, 361, Anna Salai, Teynampet Chennai. 600018	25916	11
9	DAG(A&E) Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan Deorali, P.O. Tadong Gangtok. 737102	25919	11
10	PAG(A&E) Orrisa, Keshari Nagar, Bhuneshwar - 751001	25924	11
11	PAG(A&E) Manipur, Imphal West, Imphal, (Opp. To Manipur Secretariat Building) - 795001	25927	11
12	PAG(A&E)-II Maharashtra, West High Court Road Civil Lines Nagpur - 440001	25930	11
13	AG(A&E)-I Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, 101, Church Gate Maharshi Karve Road Dhobi Talao, Mumbai 400020	25936	11
14	AG(A&E) Karnataka, Park House Road, P.B.No.5329/5369 Bangalore. 560001	25943	11
15	PAG(A&E) Meghalaya, M.G.Road opposite Governor House, Shillong. 793001	26017	11
16	PAG(A&E)-I Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road Gwalior. 474002	26028	11
17	AG(A&E) Assam, Maidamgaon, Beltola Guwahati - 781029	26032	11
18	AG(A&E) Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun-248195	26039	11
19	PAG(A&E) Chattisgarh, Zero Point Baloda Bazar, Vidhan Sabha, Raipur-492005	26034	11
20	AG(A&E) Jharkhand, North office Para, Shyamali Colony,	26042	11

	Doranda Ranchi - 834002		
21	"Kautilya", Lekha bhawan, Directorate of Accounts, Penha De France, Alto-Provorim, Bardez-Goa – 403521	26054	29/06/26
22	AG(A&E) West Bengal, Treasury Buildings, No.2, Govt. Place (west) Kolkata. 700001	26058	11
23	A.G.(A&E) Himachal Pradesh, Gorton Castle Building Shimla - 171003	26063	11
24	A.G.(A&E) Tripura, P.O.Kunjanban Agartala. 799006	26067	11
25	A.G.(A&E) Nagaland, Kohima. 797001	26070	11
26	P.A.G.(A&E) Jammu & Kashmir (Shrinagar Office), M.Y. Rather Avenue Exhibition Ground, Opposite Civil Secretariat, Srinagar - 190001	26072	11
27	P.A.G.(A&E) Jammu & Kashmir (Shrinagar Office), Jammu Shakti Nagar, Jammu Tawi - 180001	26075	11
28	Principal Pay & Accounts Officer (Administration), Vikas Bhawan New Delhi. 110001	26091	30/06/26
29	Principal Pay & Accounts Officer, No.5. Tees Hazari Treasury Building New Delhi 110054	26093	11
30	Controller of Accounts, Ministry Of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi - 110007	26112	11
31	Office of the Principal Accountant General (A&E), Punjab & U.T. Chandigarh, Lekha Bhawan, Plot No.20-21 Sector 17-E Chandigarh-160017	26116	11
32	Director of Audit & Pension, Govt. of Arunachal Pradesh, Nahar Lagun -791110	26119	11
33	AG (A&E)- Arunachal Pradesh, MOWB-II, Papumpare District, Itanagar - 791111	26122	11
34	AG (A&E)-Mizoram, New Capital Complex, Khatla, Aizawl - 796001	26126	11
35	Director of A/Cs & Treasuries, Mizoram, Aizawl - 796001	26129	11
36	Directorate of A/Cs & Treasuries, New Municipal Road, Kumarakurupallam, Puducherry-605001	26132	11
37	AG(A&E) Telangana, National Highway 7, Saifabad, Ambedkar Colony, Khairtabad, Hyderabad-500004.	26138	11
38	PAG(A&E)- Gujarat, Race Course Road, Rajkot-360001	26145	11